



लोक सभा सचिवालय
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध
संसद भवन, नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
Press and Public Relations Wing
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

PRESIDING OFFICERS, CONSTITUTIONAL AND LEGAL EXPERTS AND OTHER STAKEHOLDERS WILL BE CONSULTED FOR STRENGTHENING ANTI DEFECTION LAW: LOK SABHA SPEAKER / दलबदल वरोधी कानून को मजबूत करने के लिए पीठासीन अधिकारियों, संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया जाएगा: लोक सभा अध्यक्ष

...

NUMBER OF SITTINGS OF STATE LEGISLATURES SHOULD BE ENHANCED: LOK SABHA SPEAKER/राज्य विधानमंडलों की बैठकों की संख्या बढ़नी चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष

...

THERE SHOULD NOT BE ANY DISRUPTION DURING ADDRESS OF PRESIDENT AND GOVERNOR: LOK SABHA SPEAKER/राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण की दौरान सदन में व्यवधान नहीं होना चाहिए: लोकसभा अध्यक्ष

...

LOK SABHA SPEAKER CHAIRS MEETING OF PRESIDING OFFICERS OF LEGISLATIVE BODIES IN INDIA/लोक सभा अध्यक्ष ने भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की

New Delhi; 15 July 2022: Lok Sabha Speaker Shri Om Birla Chaired a meeting of Presiding Officers of Legislative Bodies in India in Parliament House Complex, today. Deputy Chairman, Rajya Sabha and Presiding Officers from 17 States and UTs participated in the meeting.

Speaking on this occasion, Shri Birla highlighted that debates and discussions in legislatures should be dignified and every Member should conduct themselves in a manner that will add to the dignity and decorum of the House. Shri Birla further added that there should not be any disruption during Addresses of President and Governor. Presiding Officers should meet regularly and discuss these issues so that meaningful discussion takes place in legislatures, suggested Shri Birla.

Issues like strengthening anti-defection law, awards to outstanding legislatures and minimum number of sittings of legislatures were also discussed in the meeting. Speaking about strengthening the Anti-Defection Law Shri Birla said that Presiding Officers, Constitution Experts, legal scholars and other stakeholders are will be consulted for amendments to the law.

Speaking on the issue of expunction of certain words from parliamentary proceedings, Shri Birla urged the Presiding Officers to inform the Members that no word has been banned but the words which have been expunged from the proceedings as per the directions of the Chair have been compiled. Presiding Officers should guide the Members for dignified conduct in the House, said Shri Birla. He added that efforts must be made to enhance the number of sittings of State Legislatures.

Emphasizing on the need for a single platform for information about legislatures in the country, Shri Birla said that a single digital platform is being prepared and debates of all the legislatures in the country will soon be available on this platform. He sought cooperation from the Presiding Officers for sharing of debates of State legislatures so that a robust digital platform can be prepared. Speaking on uniformity of rules and procedures, Shri Birla said that uniformity of rules and procedures for all democratically elected legislative bodies, including Panchayats, will strengthen democracy from grassroots level onwards.

Shri Birla also informed that a Parliamentary Delegation under his leadership will attend the Commonwealth Parliamentary Association (CPA) Conference to be held in Halifax, Nova Scotia, Canada from 20-26 August 2022. He added that 181 delegates from 54 countries including 27 delegates from legislative bodies in India will attend the Conference.

Shri Birla also said that the number of CPA Zones in India have been increased from three to nine in order to ensure active participation, and extensive discussions of State Legislatures within the framework of the CPA.

The Presiding Officers also discussed about the implementation of the resolutions adopted in POs Conference at Shimla and Guwahati.

नई दिल्ली; 15 जुलाई 2022: लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सभा के उपसभापति और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायिकाओं में वाद-विवाद और चर्चा गरिमापूर्ण होनी चाहिए और प्रत्येक सदस्य को इस तरह से आचरण करना चाहिए जिससे सदन की गरिमा और मर्यादा में वृद्धि हो। श्री बिरला ने आगे कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। श्री बिरला ने सुझाव दिया कि पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से बैठक करें और इन मुद्दों पर चर्चा करें ताकि विधानसभाओं में सार्थक चर्चा हो सके।

बैठक में दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत करने, विधायिकाओं को उत्कृष्ट पुरस्कार और विधानसभाओं की न्यूनतम बैठकों की संख्या जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के बारे में बोलते हुए श्री बिरला ने कहा कि कानून में संशोधन के लिए पीठासीन अधिकारियों, संविधान विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

संसदीय कार्यवाही से कुछ शब्दों के निष्कासन के मुद्दे पर बोलते हुए, श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों से सदस्यों को सूचित करने का आग्रह किया कि किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन जो शब्द सभापीठ के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, उन्हें संकलित किया गया है। पीठासीन अधिकारियों को सदन में सम्मानजनक आचरण के लिए सदस्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए, श्री बिरला ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य विधानसभाओं की बैठकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

देश में विधानसभाओं के बारे में जानकारी के लिए एक मंच की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री बिरला ने कहा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म पर देश के सभी विधानसभाओं की डेबेट्स उपलब्ध होगी। उन्होंने राज्य विधानसभाओं की बहसों को साझा करने के लिए पीठासीन अधिकारियों से सहयोग मांगा ताकि एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। नियमों और प्रक्रियाओं की एकरूपता पर बोलते हुए, श्री बिरला ने कहा कि पंचायतों सहित सभी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायी

निकायों के लए नियमों और प्र क्रयाओं की एकरूपता, जमीनी स्तर से लोकतंत्र को मजबूत करेगी।

श्री बिरला ने यह भी बताया क उनके नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनि धमंडल 20-26 अगस्त 2022 तक है लफ़ैक्स, नोवा स्कोटिया, कनाडा में होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन में भाग लेगा। उन्होंने कहा क इस कार्यक्रम में 54 देशों के 181 प्रतिनि ध जिनमें भारत से 27 प्रतिनि ध भाग लेंगे।

श्री बिरला ने यह भी कहा क सीपीए के ढांचे के भीतर राज्य वधानमंडलों की सक्रय भागीदारी और व्यापक चर्चा सुनिश्चित करने के लए भारत में सीपीए जोन की संख्या तीन से बढ़ाकर नौ कर दी गई है।

पीठासीन अधकारियों ने शमला और गुवाहाटी में पीओ सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बारे में भी चर्चा की।